उचित समयः केंद्र-आरबीआई मतभेदों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- राहुल मिश्रा (वरिष्ठ व्याख्याता, एशिया-यूरोप संस्थान, मलाया विश्वविद्यालय)

30 अक्टूबर, 2018

''केंद्र और आरबीआई के बीच मतभेद कहीं से बेहतर नहीं है। उन्हें निजी रूप से अपने मतभेदों को हल करना चाहिए।''

पिछले कुछ महीनों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उप गवर्नर विरल आचार्य ने सार्वजनिक बयान के माध्यम से सप्ताहांत में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक आरबीआई कोई सरकारी विभाग नहीं है और सरकार को इसे अर्थव्यवस्था में सुधार लाने से ज्यादा इसको स्वायत्तता देने की जरूरत है।

डिप्टी गवर्नर ने कड़े शब्दों में कहा कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को नजरअंदाज करना विनाशकारी हो सकता है। श्री आचार्य ने आगे कहा, सरकार जो केंद्रीय बैंक को आजादी प्रदान करने के पक्ष में नहीं रहती हैं, वो जल्द ही या बाद में वित्तीय बाजारों को, अर्थव्यवस्था को और देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियामक संस्था को कमजोर बनाने का मार्ग प्रसस्त कर देते हैं।

देखा जाए तो ये बहुत ही कड़े शब्द है और यह सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण ऐसे शब्द सार्वजनिक रूप से जारी किये गये। हांलाकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आरबीआई ने नॉर्थ ब्लॉक में अपना विरोध जताया हो और ना ही यह अंतिम होगा।

भारत के पास वित्त मंत्री हैं जो यह कहते हुए निराश होकर थक गए हैं कि वे अर्थव्यवस्था को चलाने में अकेले चलेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर्स का मानना है कि केंद्र को इसका आभार मानना चाहिए कि उनके पास केंद्रीय बैंक मौजूद है।

दरअसल, बेंचमार्क ब्याज दरों को स्थापित करने के लिए मिंट स्ट्रीट और नॉर्थ ब्लॉक के बीच असहमति पिछले कुछ वर्षों में आम रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र आरबीआई को परेशान कर रही है।

ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र ने गवर्नर उर्जित पटेल के इस बात को स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनियमित करने में पर्याप्त शक्तियों की कमी से प्रभावित हो रही है।

दूसरा विवाद आरबीआई के तेजी से बढ़ते भंडार पर है, जिसके एक टुकड़े से केंद्र अपने वित्तीय अंतर को कम करने का विचार कर रही है। अब यहाँ इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक को आपत्ति है जिसके बाद विवाद का जन्म होता है।

विवाद का आखिरी मुद्दा यह है कि केंद्र एक स्वतंत्र भुगतान नियामक स्थापित करना चाहता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की नजरों में किसी अतिक्रमण से कम नहीं।

आरबीआई के पास सरकारी बैंकों पर कार्रवाई करने के सीमित अधिकार हैं। विरल आचार्य ने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था के कई जरूरी कार्यों को केंद्रीय बैंक अंजाम देता है। आरबीआई ना केवल मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण और लोन, उधारी पर ब्याज दर भी तय करता है।

इसके साथ ही वित्तीय बाजारों पर निगरानी रख नियमन करता है। देखा जाये तो दुनियाभर में केंद्रीय बैंकों का नेतृत्व करने वाले का चुनाव नहीं होता बल्कि सरकार उन्हें नियुक्त करती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आसानी से एक साथ बैठकर संबोधित किया जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि इन्होने आरबीआई और सरकार के बीच संचार को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

ब्याज दरों में अत्यधिक कमी और / या बैंक पूंजी और तरलता आवश्यकताओं में छूट से अधिक क्रेडिट निर्माण, संपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति, और अल्प अवधि में मजबूत आर्थिक विकास की समानता हो सकती है। लेकिन अत्यधिक क्रेडिट वृद्धि आम तौर पर गुणवत्ता वक्र को उधार देने के साथ होती है जो दीर्घकालिक में निवेश, संपत्ति-कीमत दुर्घटनाओं और वित्तीय संकट को ट्रिगर करती है।

इस मामले में तनाव की एक निश्चित मात्रा प्रणालीगत रूप से अंतर्निहित है, उनके विभिन्न दृष्टिकोण दिए गए हैं जहाँ एक अल्पकालिक और राजनीतिक है; और दूसरा दीर्घकालिक और तकनीकी है।

आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के डिफॉल्ट होने के बाद एनबीएफसी क्षेत्र में नकदी की भारी किल्लत दूर करने के लिए सरकार आरबीआई पर लगातार दबाव बना रही है, लेकिन इस मामले में कोई भी कदम उठाने से केंद्रीय बैंक ने इनकार कर दिया है।

आरबीआई के बोर्ड से नचिकेत मोर को कार्यकाल पूरा होने से दो साल से अधिक समय पहले ही बिना सूचना दिए उन्हें हटाए जाने से केंद्रीय बैंक नाराजगी और बढ़ गई। दरअसल, नचिकेत मोर ने केंद्रीय बैंक से सरकार द्वारा अधिक लाभांश मांगे जाने का विरोध किया था और माना जाता है कि इसी विरोध के कारण बोर्ड से उनकी विदाई की गई।

देखा जाये तो, सरकार के लोगों का कहना है कि इस तनाव को सरकार बनाम केंद्रीय बैंक के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि गवर्नर को बोर्ड के साथ-साथ सबको साथ लेकर चलना होगा।

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सरकार आरबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि संस्थान की स्वायत्तता का इस्तेमाल उच्च विकास दर हासिल करने के लिए करना चाहिए।

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान कानूनों में बदलाव के बारे में सरकार की एक समिति की कुछ सिफारिशों के खिलाफ कड़े शब्दों वाला अपना असहमति नोट सार्वजनिक किया है।
- केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भुगतान प्रणाली का नियमन केंद्रीय बैंक के पास ही रहना चाहिए।

क्या है मामला?

- सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) कानून, 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की थी।
- समिति ने रिपोर्ट के मसौदे में भुगतान संबंधित मुद्दों के लिए एक स्वतंत्र नियामक, भुगतान नियामक बोर्ड (आरआरबी) के गठन का सुझाव दिया है।
- रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि ने समिति को जो असहमति नोट दिया है उसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक से बाहर भुगतान प्रणाली के लिए अलग नियामक का कोई मामला नहीं बनता है।

क्या है विवाद का कारण?

- सरकार और आरबीआई के बीच गहराते विवाद का मुख्य कारण प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) को माना जा रहा है। जिसके तहत आरबीआई ने 11 बैंकों पर कर्ज देने को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं।
- सरकार का मानना है कि इस पाबंदी के कारण देश के एक बड़े हिस्से में उद्योगों व आम जनता को लोन नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक विकास पर भी असर पड़ रहा है।
- आरबीआई के सूत्रों की मानें तो सरकार आरबीआई को पीसीए के मौजूदा नियमों में ढील देने के लिए फिर से मनाने की कोशिश करेगी।

क्या है?

- भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड (बीपीएसएस), भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति देश में भुगतान प्रणाली पर नीति निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- बीपीएसएस को नीतियों को प्राधिकृत और विहित करने और देश में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मानकों की स्थापना के लिए सशक्त बनाया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसके दिशानिर्देशों को निष्पादित करता है।
- भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित की जाती है जिसका कानून दिसंबर 2007 में बनाया गया था।
- इसके अंतर्गत बनाए गए भुगतान और निपटान प्रणाली अधि नियम और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 दिनांक 12 अगस्त, 2008 से प्रभावी हुए।

दूसरे देशों में क्या हैं नियम?

- डिजिटल पेमेंट्स में बैंक खातों के बीच लेनदेन होता है। यही कारण है कि आरबीआई पीआरबी को अपनी निगरानी में रखना चाहता है।
- आरबीआई ने कहा कि दुनियाभर में पेमेंट सिस्टम्स केंद्रीय बैंकों के अधीन कार्य करते हैं।
- दुनियाभर में क्रेडिट और डेबिट काड्र्स बैंक ही जारी करते हैं। ऐसे में इन पर दोहरे नियमन की अपेक्षा नहीं की जाती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय सरकार के मध्य रिजर्व बैंक की स्वायत्ता को लेकर विवाद गहराया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकारी बैंकों पर कार्यवाही करने का असीमित अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में शामिल हैं?

1. उधारी पर ब्याज दर का निर्धारण
2. मुद्रा की आपूर्ति
3. वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य

कूट

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल के दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय सरकार के मध्य रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को लेकर सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के कार्यों में हस्तक्षेप उच्च विकास प्राप्त करने में बाधक होगी। स्पष्ट कीजिए। (शब्द-250)

नोट :

29 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।